न्यायालय– न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटनादावा अधिकरण, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री आशुतोष कुमार

एम ए सी विविध प्रार्थना पत्र संख्या – 02/2018

1. वजीरराम पुत्र पुनुराम जाति भील उम्र 48 साल
2. श्रीमती सुगनो पत्नी वजीरराम जाति भील निवासी भील मोहल्ला, ग्राम देवा हाल भील बस्ती जेठवाई रोड़, जैसलमेर। ..... प्रार्थीगण

बनाम

1. पपूखां पुत्र नूरेखां मंगणीयार निवासी सोनू पीएस रामगढ जिला जैसलमेर। ––वाहन चालक आर जे 07 जीबी 5346
2. खंगारसिंह पुत्र धनसिंह राजपुरोहित निवासी 234 राजबाग सूरसागर, जोधपुर मालिक वाहन आर जे 07 जीबी 5346
3. प्रेमसिंह पुत्र बांकसिंह राजपूत निवासी सोनू पीएस रामगढ मुख्त्यार खास वाहन आर जे 07 जीबी 5346
4. दी न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा अभय चेम्बर जालोरी गेट, जोधपुर बीमा कंपनी वाहन आर जे 07जीबी 5346 –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 140 मोटरयान अधिनियम, 1988

उपस्थित –

1. श्री ओमप्रकाश वासु, वास्ते अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री मुरलीधर जोशी, अधिवक्ता, अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी
3. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

:: आदेश :: दिनांक–**13.12.2018**

1. प्रार्थीगण ने विचाराधीन आवेदन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अन्तर्गत त्रुटि विहिन दायित्व के आधार पर अप्रार्थीगण से प्रतिकर के रूप में 50,000/– रूपये की राशि दिलाये जाने हेतु पेश किया है।

2. मोटरयान दुर्घटना आवेदन के अनुसार दिनांक 07.6.2017 को वाहन संख्या आर जे 07 जीबी 5346 को अप्रार्थी संख्या 1द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के स्वामित्व के उक्त वाहन को जैसलमेर स्थित डेडानसर मैदान स्थित उतरी गेट के पास आम रोड पर तेज गति व लापरवाही से चलाकर सामने से आ रही मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, जिससे मोटरसाईकिल पर सवार नखताराम के चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह भी कहा गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उक्त वाहन के स्वामी होने से व अप्रार्थी संख्या 4 बीमा कंपनी वक्त दुर्घटना उक्त वाहन की बीमा कंपनी होने से उक्त प्रकरण राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हैं। अप्रार्थी संख्या 4 बीमा कंपनी की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा है कि कथित वाहन से दुर्घटना कारित नहीं हुई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ गलत रूप से आरोप पत्र मिलावट

कर पेश किया गया हैं। मोटरसाईकिल चालक की दुर्घटना में मृत्यु होना बताया गया है जिसके नियमानुसार वक्त दुर्घटना हेलमेट पहना हुआ नहीं था। किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई है और क्लेम पाने की गरज से उक्त बीमित वाहन से दुर्घटना होना गलत रूप से बताया गया हैं। वक्त दुर्घटना फिटनेस व परमिट के अभाव में पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी जिम्मेवार नहीं हैं। क्लेम अदायगी का उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने त्रुटि विहीन दायित्व के आधार पर बीमा कंपनी से अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी का तर्क रहा है कि बीमा कंपनी किसी भी प्रकार से अंतरिम राशि अदायगी के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। यह भी तर्क दिया कि वक्त दुर्घटना उक्त वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था। इसके बावजूद भी यदि अधिकरण द्वारा त्रुटि विहिन दायित्व के आधार पर अंतरिम राशि अदा करने के लिए कोई आदेश पारित करता है तो यह भी आदेश दिया जावे कि यदि मूल प्रकरण के निस्तारण में दुर्घटना कारित वाहन से दुर्घटना कारित होना अथवा उसका सम्मिलित नहीं होना पाया जाता है तो उक्त राशि प्रार्थीगण से अप्रार्थी बीमा कंपनी को वसूल करने का अधिकार होगा। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षो के तर्को पर गौर किया गया। इसी दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर में एफ.आई.आर. संख्या 231/2017 दर्ज हुई है, जिसमें बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध चालान पेश किया गया है। इस स्तर पर किसी अन्य तथ्य पर विचार नही करना है बल्कि केवल यह देखना है कि दिनांक 07.6.2017 को तथाकथित मोटरयान दुर्घटना कारित हुई, जिसमें अप्रार्थी संख्या एक द्वारा चलाया जा रहा एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के स्वामित्व व कब्जे का वाहन उक्त दुर्घटना में संलिप्त था और इस मोटरयान दुर्घटना में नखताराम की दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय कथित वाहन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के निर्देशन में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चलाया जा रहा था और उक्त वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 4 बीमा कंपनी के यहां बीमित था, इसलिए त्रुटि विहिन दायित्व के आधार पर अप्रार्थी संख्या 4 बीमा कंपनी प्रार्थीगण को 50,000/– रूपये क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिए जिम्मेवार है।

–: आदेश :–

5. अतः प्रार्थीगण द्वारा धारा 140 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 4 बीमा कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को त्रुटि विहिन दायित्व के आधार पर प्रतिकर के रूप में

50,000/–रूपये की राशि अदा करें। राशि अदा होने पर उक्त 50,000/–रूपये की राशि मे से 25,000/–रू. की राशि प्रार्थी संख्या 1 वजीरराम व 25,000/–रू. की राशि प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती सुगनों देवी के बचत खाते में जमा करवायी जावें। यहॉ यह भी उल्लेखित किया जाना उचित है कि यदि मूल प्रकरण के निस्तारण के समय अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चलाया जा रहा व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के स्वामित्व का वाहन दुर्घटना में संलिप्त होना नहीं पाया जाता है अथवा उसकी गलती से दुर्घटना होना नहीं पाया जाता है तो उक्त अदा की जाने वाली अंतरिम राशि 50,000/–रू. अप्रार्थी संख्या 4 बीमा कंपनी पुनः प्रार्थीगण से वसूल करने की अधिकारी रहेगी।

(आशुतोष कुमार)
न्यायाधीश
मोटरयान दुर्घटनादावा अधिकरण,
जैसलमेर।

6. आदेश आज दिनांक 13.12.2018 को लिखाया जाकर खुले अधिकरण में सुनाया गया।

(आशुतोष कुमार)
न्यायाधीश
मोटरयान दुर्घटनादावा अधिकरण,
जैसलमेर ।